



न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अवमानना प्रकरण संख्या 66/2013

1. यासीन खाँ पुत्र श्री अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी नूरपुरा ढाणी, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.) के कायम मुकाम
 - 1.1 जैना बीबी पत्नी श्री यासीन खाँ
 - 1.2 समीरा बीबी पुत्री श्री यासीन खाँ
 - 1.3 इसराईल खाँ पुत्र श्री यासीन खाँ
 - 1.4 नजीरा बीबी पुत्री श्री यासीन खाँ
 - 1.5 मोहम्मद नवाज पुत्र श्री यासीन खाँ
- जाति मुसलमान निवासी नूरपुरा ढाणी तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1. नूरनबी खाँ
 2. अब्दुल हनीफ खाँ
 3. अब्दुल मजीद खाँ
- पिसरान श्री मौलवी शेर मोहम्मद पुत्र श्री असमान खाँ जाति मुसलमान निवासी नूरपुरा ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

अप्रार्थी

अवमानना प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 ए सी.पी.सी.— अहाता संख्या सी-30

- उपरिस्थित : 1. श्री काशीराम रणवां, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. श्री ओम प्रकाश बतरा, अधिवक्ता गैर निगरानीकर्तागण

आदेश

दिनांक : 17.11.2017

प्रस्तुत निगरानी पंचायत अवमानना प्रकरण के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने तत्कालीन ग्राम पंचायत अलीपुरा के चक नूरपुरा ढाणी के अहाता संख्या सी-25 दिनांक 05.06.1970 को ग्राम पंचायत अलीपुरा से क्रय किया था और प्रार्थी इस भूखण्ड पर खरीद की दिनांक से काबिज हो गया था। ग्राम पंचायत इसका विक्रय विलेख प्रार्थी के हक में जारी कर दिया था। अप्रार्थी के पिता ने उपरोक्त भूखण्ड का ही ग्राम पंचायत से विक्रय विलेख दिनांक 05.06.1973 को बना लिया, जबकि अप्रार्थीयान के पिता को व ग्राम पंचायत को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। माननीय न्यायालय ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर स्थगन आदेश भी दिनांक 17.10.2013 को इस आशय का जारी किया था कि अप्रार्थीयान आगामी पेशी दिनांक 20.11.2013

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

तक कोई निर्माण कार्य नहीं करें। माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश जारी करने पर अप्रार्थीयान का स्थगन आदेश से अवगत करवाने पर अप्रार्थीयान ने एक बार निर्माण कार्य रोक दिया और निगरानी में निश्चित तारीख पेशी पर दिनांक 20.11.2013 को अपने अधिवक्ता के जरिये हाजिर आये और माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को आगामी पेशी दिनांक 18.12.2013 तक बढ़ाई गई। अप्रार्थीयान ने चुनाव का फायदा उठाकर माननीय न्यायालय के आदेश की अवज्ञा व अवमानना करते हुए पुनः निर्णय करने लग गये और माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं। ऐसी सूरत में अप्रार्थीयान स्थगन आदेश की अवज्ञा व अवमानना के दोषी है। माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 17.10.2013 की अवज्ञा व अवमानना करने पर अप्रार्थीयान ने दण्डित करने का प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2-ए सी.पी.सी. पेश किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कहा है कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 17.10.2013 की अवमानना पालना नहीं करने के कारण अप्रार्थीयान को दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 17.10.2013 की अवमानना नहीं की गई है। अतः अवमानना याचिका खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

इस न्यायालय में निर्णित निगरानी पंचायत प्रकरण संख्या 51/2013 से निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की गई है। ग्राम पंचायत मौजा अलीपुरा पंचायत समिति सादुलशहर भूखण्ड संख्या सी-25 का जारी किया गया पट्टा दिनांक 05.06.1973 को निरस्त किया जाकर, भूखण्ड संख्या सी-25 का दिनांक 05.06.1970 को जारी किया गया पट्टा बहाल रखा गया है।

निष्कर्षतः, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना भूखण्ड संख्या सी-25 में जारी स्थगन की पालना न होने पर प्रस्तुत किया गया था। उक्त निगरानी का निर्णय पारित किया जाने पर अवमानना प्रार्थना पत्र स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2-ए सी.पी.सी. निष्प्रभावी होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 17-11-17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)

अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर